FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
अमरजीतसिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी मेहमदुवाल खुर्द तहसील गृहशंकर, जिला होशियारपुर, पंजाब जरिये आम मुख्तियार परमजीतसिंह पुत्र पालसिंह निवासी मेहंदपुर तहसील बालाचुर, जिला शहीद भगतसिंह नगर, पंजाब।		सरकार जरिये सहायक लोक अभियोजक, नागौर

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 07 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13.02.2023	वकील प्रार्थी ने धारा 451 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना सदर नागौर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 203/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में जब्त शुदा वाहन ट्रक पंजीयन संख्या पीबी 07 बीजी 3785 को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण में पुलिस द्वारा अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय नागौर के न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने से संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.02.2023 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर	
21/02/23	प्रार्थी की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश फुलफगर उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुरेश कुमार रोयल उपस्थित। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 451 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रकरण में प्रार्थी वाहन ट्रक पंजीयन संख्या पीबी–07 बीजी–3785 का आम मुख्तियार है तथा उक्त वाहन वर्तमान में पुलिस थाना सदर नागौर द्वारा जब्त किया हुआ है। प्रकरण हाजा में अनुसंधान पूर्ण होकर चालान संबंधित न्यायालय में पेश हो चुका है। उक्त वाहन का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई दावेदार नहीं है। प्रार्थी ही इस वाहन का हकदार व दावेदार है। उक्त वाहन पुलिस थाना सदर नागौर में देखदेख के अभाव में पड़ा पड़ खराब हो रहा है, जबकि प्रार्थी को उक्त वाहन की नितान्त आवश्यकता रहती है। पुलिस थाना सदर नागौर को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को जरिये जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा के उक्त वाहन सुपुर्द किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। प्रार्थी न्यायालय हाजा द्वारा अधिरोपित प्रत्येक	

कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौजदारी प्रार्थना पत्र सं. 07/2023 C.CMS No-2023/56
अमरजीतसिंह vs सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

21/2/23 (लगातार)

शर्त का अक्षरशः पालना करने का तत्पर होने का कथन करते हुए वकील प्रार्थी ने प्रार्थी का उक्त वाहन ट्रक पंजीयन संख्या पीबी–07 बीजी–3785 को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर पीबी–07 बीजी–3785 को पुलिस थाना सदर नागौर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 203/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, व 8 राज. गोवंश अधिनियम 1995 प्रकरण में जब्त किया है, उक्त प्रकरण में बाद अनुसंधान पुलिस थाना सदर द्वारा श्रीमान् अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के न्यायालय में अभियुक्त सुखदेवसिंह उर्फ सोनी पुत्र मदनसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 23.01.2023 को प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिए प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के संबंध में व अन्य किसी प्रकार का अनुसंधान शेष नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत असल दस्तावेज बाद अवलोकन वकील प्रार्थी को लौटाये गये। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वाहन का वैध आगामी अवधि का इंश्योरेन्स सर्टीफिकेट प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी का वाहन ट्रक नम्बर पीबी–07 बीजी–3785 पुलिस थाना सदर नागौर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 203/2021 में जब्त कर रखा है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अभियोजन अधिकारी की बहस से स्पष्ट है कि पुलिस थाना सदर नागौर द्वारा उक्त प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 203/2021 के प्रकरण में श्रीमान् अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के न्यायालय में अभियुक्त सुखदेवसिंह उर्फ सोनी पुत्र मदनसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 23.01.2023 को प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति प्रकरण में उक्त जब्तशुदा वाहन के संबंध में किसी प्रकार का अनुसंधान शेष नहीं है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रार्थी द्वारा उक्त जब्तशुदा वाहन का आगामी अवधि का वैध इंश्योरेन्स सर्टीफिकेट प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को उक्त जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा उक्त वाहन का आगामी अवधि का वैध इंश्योरेन्स सर्टीफिकेट, 14,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये चौदह लाख मात्र) का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर की राशि का जमानतनामा, नीचे अंकित शर्तों अनुसार, उपखण्ड अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर नागौर को उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–203/2021 में जब्त शुदा वाहन ट्रक नम्बर पीबी–07 बीजी–3785 प्रार्थी अमरजीतसिंह पुत्र बलवीरसिंह निवासी मेहमदुवाल खुर्द तहसील गृहशंकर, जिला होशियारपुर, पंजाब जरिये आम मुख्तियार परमजीतसिंह पुत्र पालसिंह निवासी मेहंदपुर तहसील बालाचुर, जिला शहीद भगतसिंह नगर, पंजाब को उक्त जब्तशुदा वाहन अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी करे।–

1. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढ़ाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
2. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा।
3. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा।

उपखण्ड अधिकारी नागौर को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर नागौर द्वारा उक्त वाहन प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(पीयुष समारिया)
कलक्टर,नागौर
कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)